

**महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA**  
**THIRUVANANTHAPURAM**

सं.लेप II / प्रशा. /लेखापरीक्षा प्रभाव एवं रिपोर्ट (पीएसी)/ 2025-26

No. Au. II/Admn / Audit Impact&Report (PAC)/2025-26

दिनांक: 18.07.2025

**कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER No. 02**

**विषय:** लेखापरीक्षा प्रभाव एवं रिपोर्ट (पीएसी) अनुभाग का गठन - बाबत

**Sub:** Formation of Audit Impact and Report (PAC) Section – reg.

महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) के कार्यालय में लेखापरीक्षा प्रभाव एवं रिपोर्ट (पीएसी) अनुभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है जो लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रभाव की पहचान और वर्गीकरण तथा पीएसी से संबंधित कार्यों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) को रिपोर्ट करने वाले एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के साथ उक्त अनुभाग गठित किया है।

It has been decided to form an “Audit Impact and Report (PAC) Section” in the Office of the Accountant General (Audit-II) focusing exclusively on identifying and categorizing impact of audit findings and handling of PAC related functions. The section is constituted with one Sr. Audit Officer and two Assistant Audit Officers reporting to the Accountant General (Audit-II).

**लेखापरीक्षा प्रभाव एवं रिपोर्ट (पीएसी) अनुभाग के कार्य**

**Functions of the Audit Impact & Report (PAC) Section**

1. विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन पर बाधा डालने वाले प्रणालीगत मुद्दों पर विशेष प्रकाश डालते हुए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अनुसरण।

Pursuing audit report findings with the State Government through management letters, highlighting systemic issues which are hampering the efficient implementation of various programs and schemes.

2. लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लेखापरीक्षा कथनों के आधार पर वसूली के निर्गम का अनुसरण करना और साथ ही लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर नीतियों / विनियमों / नियमों में परिवर्तन के रिकार्ड सुरक्षित करना।

Pursuing the issue of recovery based on audit instances in Audit Report and also keep a record of change in policies/regulations/rules based on audit reports.

3. प्रारंभ में अनुभाग पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा कथनों का अनुसरण / समीक्षा करेगा और नवंबर 2025 तक समग्र रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। इसके लिए एक समयबद्ध कार्य योजना महालेखाकार को प्रस्तुत की जाएगी।

Initially, the section will pursue/review audit instances from the past five years and submit comprehensive reports by November 2025. For this, a time-bound action plan shall be submitted to AG.

4. अनुभाग सीओपीयू अनुभाग के साथ समन्वय करके वाणिज्यिक रिपोर्टों से संबंधित लंबित मुद्दों / बिंदुओं पर कार्रवाई करेगा।

The Section will pursue pending issues/points related to Commercial reports in coordination with CoPU Section.

5. रिपोर्ट (एएमजी I) , रिपोर्ट (एएमजी III) तथा रिपोर्ट (एसएफ) के संबंध में लोक लेखा समिति (पीएसी) से संबंधित सभी कार्य उक्त अनुभाग द्वारा संभाला जाएगा।

All works related to Public Accounts Committee (PAC) pertaining to Report (AMG I), Report (AMG III) and Report (SF) will also be handled by the Section.

(महालेखाकार के दि. 18.07.2025 के आदेशानुसार /  
Vide orders of Accountant General dated 18.07.2025)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I)  
Sr. Deputy Accountant General  
(Administration & AMG – I)

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers.
2. मले (लेखापरीक्षा I/ लेखापरीक्षा II ) के सचिव / Secretary to AG (Au-I/Au-II)
3. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Officers
4. सभी अनुभाग/ All Sections
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका / Office Order Book
6. सूचना पट्ट / Notice Board